Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to provide age relaxation for persons belonging to Economically Weaker section.

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): 9 जनवरी 2018 का हमारी केन्द्र सरकार ने सामान्य आर्थिक-पिछड़ा-वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सभी सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आर्थिक-पिछड़ा-वर्ग को आरक्षण देने का फैसला स्वागतयोग्य तथा सुखद था । लेकिन ईडब्ल्यूएस-आरक्षण के संदर्भ में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आर्थिक-पिछड़ा-वर्ग आरक्षण में आयुसीमा में छूट का प्रावधान न होने से इस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इसके लाभों से वंचित रह गया है जबकि अन्य सभी वर्ग के आरक्षण में आयु सीमा में छूट का प्रावधान है । गतवर्ष हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण में आयु में छूट देने की घोषणा की है जो एक स्वागत योग्य कदम है । देश के अन्य राज्यों जैसे गुजरात-महाराष्ट्र-जम्मू कश्मीर में इस विसंगतियों को दूर कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भी एसटी-एससी-ओबीसी आरक्षण की तरह आयु सीमा में छूट दी गई है । अतः आग्रह है कि केंद्र सरकार भी सम्पूर्ण देश में ईडब्ल्यूएस में आयु संबंधित छूट का प्रावधान अविलम्ब लागू करावें ।